

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

EXECUTION APPLICATION No. 24/2021

IN THE MATTER OF:

VED PRAKASH AGGARWAL

.... Applicant

versus

MUNICIPAL COMMISSIONER NAGAR NIGAM
GHAZIABAD

....Respondent

COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF MUNICIPAL CORPORATION, GZB

1. That the above captioned matter was listed before this Hon'ble Tribunal on date 25.01.2022, wherein the Hon'ble Tribunal was pleased to fix the matter for 01.02.2022 for further hearing on Compliance Report of the Respondent.
2. That in continuation of the Compliance Report dated 08.12.2021, it is submitted as under:
 - I. That prior 25.01.2022, with the steps taken by the GNN, 3 dairies operated by **(1)** Sri Gyanveer S/o Tejpal at 445, Sec-02, Chiranjeev Vihar, Gzb; **(2)** Sri Jaipal S/o Jagveer at 445, Sec-02, Chiranjeev Vihar, Gzb and **(3)** Sri Dinesh Kumar at 447, Sec-02, Chiranjeev Vihar, Gzb have already been shut.

II. That the UP-PCB on date 25.01.2022 only after the conclusion of hearing before this Hon'ble Tribunal, has sent to the District Health Officer, the Letter Nos. (as under) all dated 10.01.2022 for disconnecting the water and electric supply of the polluters:

S.No.	Letter No.	Addressee
I.	H-70311/C-1/Sa-611/Bandi Aadesh/Jal/2021	Shri Asharaam Sec-02, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad
II.	H-70312/C-1/Sa-610/Bandi Aadesh/Jal/2021	Shri Deepak Chaudhary, Sec-03, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad
III.	H-70313/C-1/Sa-18/Bandi Aadesh/Jal/2021	Shri Premvir Singh, B-3, Sec-02, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad
IV.	H-70314/C-1/Sa-619/Bandi Aadesh/Jal/2021	Shri Sundar Yadav, Plot No.-C-4, Sec- 02, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad
V.	H-70303/C-1/Sa-617/Bandi Aadesh/Jal/2021	Shri Brahm Singh, Plot No.-B-5, Sec- 02, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad
VI.	H-70304/C-1/Sa-622/Bandi Aadesh/Jal/2021	Shri Jaipal, Plot No.445, Sec- 02, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad
VII.	H-70302/C-1/Sa-616/Bandi Aadesh/Jal/2021	Shri Kiranpal Singh, Sec-03,

		Chiranjiv Vihar, Ghaziabad
VIII.	H-70305/C-1/Sa-613/Bandi Aadesh/Jal/2021	Shri Jitendra Nagar, Plot No.392, Sec-02, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad
IX.	H-70306/C-1/Sa-620/Bandi Aadesh/Jal/2021	Shri Dinesh Kumar, Plot No.447, Sec-02, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad
X.	H-70307/C-1/Sa-612/Bandi Aadesh/Jal/2021	Shri Indra Mohan Sharma, A-3, Sec- 02, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad
XI.	H-70308/C-1/Sa-612/Bandi Aadesh/Jal/2021	Shri Hari Kishan, Sec-03, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad
XII.	H-70309/C-1/Sa-621/Bandi Aadesh/Jal/2021	Shri Gyaanveer, Plot No.445, Sec- 02, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad
XIII.	H-70310/C-1/Sa-621/Bandi Aadesh/Jal/2021	Shri Ravindra, S/o Shri Jagan Singh, Sec-03, Chiranjeev Vihar, Ghaziabad

The above-stated letters were sent to the Mobile of the DHO on 25.01.2022 by the concerned officials of the UP-PCB despite dated 10.01.2022, after the hearing of the present matter

before this Hon'ble Tribunal, for ensuring compliance; and were later sent for the service upon the polluters.

The true copy of the Letters dated 10.01.2022 received in the office of the DHO through WhatsApp are annexed herewith and marked as **ANNEXURE A-01.**

III. That the DHO has also written Letter No.3527/Health/2022 dated 25.01.2022 to the SHO- PS Kavinagar for lodging the FIR against the polluters u/s 269, 270, 277, 278, 283, 284, 286, 291, 431 IPC and 37(2) and 41(3) of the Air Act, 1981 and Water Act, 1974 respectively. The true copy of the Complaint dated 25.01.2022 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE A-02.**

IV. That in meantime, the PS- Kavinagar has lodged the FIR No.95/2022 dated 25.01.2022 u/s 26(1) of the NGT Act, 2010 and Air Act, 1981 against 20 polluters on complaint dated 30.11.2021 sent to the SHO-PS Kavi Nagar by the Safai Naik. The true copy of the FIR No.99/2022 dated 25.01.2022 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE A-03.**

V. That the Municipal Commissioner on the very same date directed the DHO and communicated with the DM that site inspection of joint teams comprising officials of the Nagar

Nigam along-with Additional City Magistrate and adequate police-force be immediately done for ensuring closure of the dairies and effective compliance of the order of the Hon'ble Tribunal. The site inspection was carried out on 26.01.2022. Few Dairies situated in Chiranjeev Vihar, Ghaziabad were already found shut and the remaining dairies were closed and sealed in the presence of the ACM. The sealing of the Dairies has been completed. During the process, 16 Buffalo and 6 calf were also seized by the Municipal Corporation and were sent to the Govt Gaushala. The entire process was video-photographed. Water and Electricity Connections were disconnected.

- VI. That as on date No Dairy is functional in the said area. The photographs dated 26.01.2022 are annexed herewith and marked as **ANNEXURE A-04.**
- VII. That demolition of the structures permanently which are made without the approval of the GDA in the site-area shall require the assistance of GDA, which is the appropriate body for issuing notice for demolition of buildings.
- VIII. That all compliance of the orders of the Hon'ble Tribunal been made and no dairy is functional in the said area. In

compliance of the directions of the UP-PCB, the water and electricity have also be severed. The cattle seized have been taken to the Govt facilities.

Respondents

Through Counsel



(VIBHAV MISHRA)

Advocate

Ch: 221, C.K. Daphtary Block,
Supreme Court of India, New Delhi-110001
(M) : 9473565666, 9811828487
(E): vibhavamishra@outlook.in

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

AT NEW DELHI

EA-24/2021

IN THE MATTER OF:

Ved Prakash Agarwal

... Applicant

VERSUS

Municipal Commissioner, Ghaziabad Municipal
Corpn. & Ors.

.. Respondents

AFFIDAVIT

Affidavit of Dr. Mithilesh Kumar , S/o Shri Bhushan Singh, aged about 42 Years presently working as Nagar Swasthya Adhikaari with the Ghaziabad Municipal Corporation **PRESENTLY AT DELHI**

I, the above-named deponent, do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I am the presently working as the Nagar Swasthya Adhikaari with the Ghaziabad Municipal Corporation and as such I am well conversant with the facts and circumstances of the present Execution Application and hence fully competent to swear this present affidavit.

2. That the contents of the Compliance/ Action Taken Report and affidavit have been drafted by the empanelled counsel under my instructions and thereon have been explained to me in vernacular, which are true and correct.

3. That the annexure A-01 to A-04 appended with this action taken report are the true copies of their respective documents and all averments have been derived out of the available records.

SO GOD HELP ME

VERIFICATION:

31 JAN 2022

[Signature]

DEPONENT

Verified on this 31st day of January, 2022 at New Delhi that the contents of the above affidavit are true and correct to my knowledge and no part of it is incorrect and nothing material has been concealed therefrom.

[Signature]


DEPONENT

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम ग्हाज़िआबाद

ATTESTED

31 JAN 2022

NOTARY PUBLIC, DELHI
GOVT. OF INDIA



IDENTIFIED



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टीसी-12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक H70302 /सी-1/सा0-616/बन्दी आदेश-जल/2021

पंजीकृत

दिनांक- 10/1/22

श्री किरनपाल सिंह,
सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार,
गाजियाबाद

यह कि मैसर्स श्री किरनपाल सिंह, सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद भैंस के पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि इकाई को बोर्ड के पत्र दिनांक-09.11.2020 द्वारा पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अनुक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का नवीनतम निरीक्षण दिनांक-30.11.2021 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग कार्टेरिया उचित नहीं पायी गयी जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् संस्तुति तथा मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में मैसर्स श्री किरनपाल सिंह के डेयरी फार्म सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु अर्धदण्ड के रूप में कुल रूपया-1,65,000 (रूपया एक लाख पैंसठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ् इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड-UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई मैसर्स श्री किरनपाल सिंह के डेयरी फार्म सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

1. यह कि मैसर्स श्री किरनपाल सिंह के डेयरी फार्म सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मैसर्स श्री किरनपाल सिंह के डेयरी फार्म सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टीसी-12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक 170304 /सी-1/सा०-622/बन्दी आदेश-जल/2021

पंजीकृत

दिनांक- 10/1/22

श्री जयपाल,
प्लॉट नम्बर-445, सेक्टर-2,
चिरंजीव बिहार,
गाजियाबाद

यह कि मैसर्स श्री जयपाल, प्लॉट नम्बर-445, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि कच्चे माल के रूप में गाय/भैंस के पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि इकाई को बोर्ड के पत्र दिनांक-09.11.2020 द्वारा पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन किये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अनुक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का नवीनतम निरीक्षण दिनांक-30.11.2021 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग कार्टेरिया उचित नहीं पायी गयी जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् संस्तुति तथा मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में मैसर्स श्री जयपाल के डेयरी फार्म, प्लाट नम्बर-445, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु अर्थदण्ड के रूप में कुल रूपया-1,65,000 (रूपया एक लाख पैसठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड-UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई मैसर्स श्री जयपाल के डेयरी फार्म, प्लाट नम्बर-445, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

- 1- यह कि मैसर्स श्री जयपाल के डेयरी फार्म, प्लाट नम्बर-445, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
- 2- यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मैसर्स श्री जयपाल के डेयरी फार्म, प्लाट नम्बर-445, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टीसी-12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक H/70305 /सी-1/सा०-613/बन्दी आदेश-जल/2021

पंजीकृत

दिनांक 10-1-22

श्री जितेन्द्र नागर,
प्लॉट नम्बर-392, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार,
गाजियाबाद

यह कि मैसर्स श्री जितेन्द्र नागर, प्लॉट नम्बर-392, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि गाय/भैंस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि इकाई को बोर्ड द्वारा पत्र दिनांक-09.11.2020 द्वारा पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अनुक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का नवीनतम निरीक्षण दिनांक-30.11.2021 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग कार्टेरिया उचित नहीं पायी गयी जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् संस्तुति तथा मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में मैसर्स श्री जितेन्द्र नागर, प्लाट नम्बर-392, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कुल रूपया-1,65,000 (रूपया एक लाख पैसठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ् इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड-UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन मैसर्स श्री जितेन्द्र नागर, प्लाट नम्बर-392, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

1. यह कि मैसर्स श्री जितेन्द्र नागर, प्लाट नम्बर-392, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मैसर्स श्री जितेन्द्र नागर, प्लाट नम्बर-392, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

(विवेक राय)
मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टीसी-12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

27/01/2022

14

पत्रांक 470308 / सी-1 / सा०-615 / बन्दी आदेश-जल / 2021

पंजीकृत

दिनांक- 10/1/22

श्री हरि किशन,
सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार,
गाजियाबाद

यह कि मैसर्स श्री हरि किशन, ए-1, 2, 3, सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि गाय/भैंस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि इकाई को बोर्ड द्वारा पत्र दिनांक-09.11.2020 द्वारा पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अनुक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का नवीनतम निरीक्षण दिनांक-30.11.2021 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग कार्टेरिया उचित नहीं पायी गयी जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् संस्तुति तथा मा० एन०जी०टी० के आदेशों के अनुपालन में मैसर्स श्री हरि किशन, ए-1, 2, 3, सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद के डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कुल रूपया-1,65,000 (रूपया एक लाख पैंसठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ् इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड-UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन मैसर्स श्री हरि किशन, ए-1, 2, 3, सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद के डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

1. यह कि मैसर्स श्री हरि किशन, ए-1, 2, 3, सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी प्रक्रिया के संचालन को तत्काल बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मैसर्स श्री हरि किशन, ए-1, 2, 3, सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद के डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टीसी-12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

27/01/2022

16

पत्रांक H70306 /सी-1/सा0-620/बन्दी आदेश-जल/2021

पंजीकृत
दिनांक- 10/1/22

श्री दिनेश कुमार,
प्लाट नम्बर-447, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार,
गाजियाबाद

यह कि मैसर्स श्री दिनेश कुमार, प्लाट नम्बर-447, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि गाय/भैंस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि इकाई को बोर्ड द्वारा पत्र दिनांक-09.11.2020 द्वारा पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन पाये जाने के दृष्टिगत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अनुक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का नवीनतम निरीक्षण दिनांक-30.11.2021 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग कार्डटेरिया उचित नहीं पायी गयी जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

Handwritten signature

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् संस्तुति तथा मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में मैसर्स श्री दिनेश कुमार, प्लाट नम्बर-447, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कुल रूपया-1,65,000 (रूपया एक लाख पैंसठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ् इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड-UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन मैसर्स श्री दिनेश कुमार, प्लाट नम्बर-447, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

1. यह कि मैसर्स श्री दिनेश कुमार, प्लाट नम्बर-447, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी प्रक्रिया के संचालन को तत्काल बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मैसर्स श्री दिनेश कुमार, प्लाट नम्बर-447, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टीसी-12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक ५७३०७ /सी-१/सा०-६१२/बन्दी आदेश-जल/२०२१

पंजीकृत
दिनांक- १०/१२/२१

श्री इन्द्र मोहन शर्मा,
ए-३, सेक्टर-२, चिरंजीव बिहार,
गाजियाबाद

यह कि मैसर्स श्री इन्द्र मोहन शर्मा, ए-३, सेक्टर-२, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि गाय/भैंस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ की धारा ४७ के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि इकाई को बोर्ड द्वारा पत्र दिनांक-०९.११.२०२० द्वारा पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अनुक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का नवीनतम निरीक्षण दिनांक-३०.११.२०२१ को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-१०.०७.२०२० के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग काईटेरिया उचित नहीं पायी गयी जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ की धारा-३३ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ की धारा ३३ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् संस्तुति तथा मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में मैसर्स श्री इन्द्र मोहन शर्मा, ए-3, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कुल रूपया-1,65,000 (रूपया एक लाख पैसठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड-UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन मैसर्स श्री इन्द्र मोहन शर्मा, ए-3, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

1. यह कि मैसर्स श्री इन्द्र मोहन शर्मा, ए-3, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी की प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मैसर्स श्री इन्द्र मोहन शर्मा, ए-3, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टीसी-12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक 470303 /सी-1/सा०-617/बन्दी आदेश-जल/2021

पंजीकृत
दिनांक 10/1/22

श्री ब्रह्म सिंह,
प्लॉट नम्बर-बी-5, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार,
गाजियाबाद

यह कि श्री ब्रह्म सिंह, प्लॉट नम्बर-बी-5, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि गाय/भैंस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि इकाई को बोर्ड के पत्र दिनांक-09.11.2020 द्वारा पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अनुक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का नवीनतम निरीक्षण दिनांक-30.11.2021 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग कार्टेरिया उचित नहीं पायी गयी जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् संस्तुति तथा मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में श्री ब्रह्म सिंह, प्लाट नम्बर-बी-5, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कुल रूपया-1,65,000 (रूपया एक लाख पैसठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ् इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड-UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई श्री ब्रह्म सिंह, प्लाट नम्बर-बी-5, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

1. यह कि मैसर्स श्री ब्रह्म सिंह, प्लाट नम्बर-बी-5, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी फार्म की प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मैसर्स श्री ब्रह्म सिंह, प्लाट नम्बर-बी-5, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

(विवेक राय)
मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



27/01/2022

22

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टीसी-12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक H70309 / सी-1 / सा०-621 / बन्दी आदेश-जल / 2021

पंजीकृत

दिनांक 10/1/22

श्री ग्यानवीर,
प्लॉट नम्बर-445, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार,
गाजियाबाद

यह कि श्री ग्यानवीर, प्लॉट नम्बर-445, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि गाय/भैंस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि इकाई को बोर्ड के पत्र दिनांक-09.11.2020 द्वारा पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अनुक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का नवीनतम निरीक्षण दिनांक-30.11.2021 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग काईटेरिया उचित नहीं पायी गयी जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् संस्तुति तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवम् इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

A.E.F.

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् संस्तुति तथा मा10 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में मैसर्स श्री ग्यानवीर, प्लाट नम्बर-445, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कुल रूपया-1,65,000 (रूपया एक लाख पैंसठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ् इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड-UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन मैसर्स श्री ग्यानवीर, प्लाट नम्बर-445, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

1. यह कि मैसर्स श्री ग्यानवीर, प्लाट नम्बर-445, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मैसर्स श्री ग्यानवीर, प्लाट नम्बर-445, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

(विवेक राय)
मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टीसी-12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

27/01/2022

24

पत्रांक 4703/0 /सी-1/सा0-614/बन्दी आदेश-जल/2021

पंजीकृत

दिनांक-10/1/22

श्री रविन्द्र पुत्र श्री जगन सिंह,
सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार,
गाजियाबाद

यह कि मैसर्स रविन्द्र सिंह पुत्र श्री जगन सिंह, सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि गाय/भैंस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि इकाई को बोर्ड के पत्र दिनांक-09.11.2020 द्वारा पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अनुक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का नवीनतम निरीक्षण दिनांक-30.11.2021 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग कार्टेरिया उचित नहीं पायी गयी जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

ABE

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् संस्तुति तथा मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में मैसर्स रविन्द्र सिंह पुत्र श्री जगन सिंह, सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कुल रूपया-1,65,000 (रूपया एक लाख पैंसठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ् इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड-UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई मैसर्स श्री किरनपाल सिंह सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

1. यह कि मैसर्स श्री किरनपाल सिंह, सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी फार्म की प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मैसर्स श्री किरनपाल सिंह के डेयरी फार्म सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टीसी-12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

27/01/2022

26

पत्रांक 470311

/सी-1/सा०-611/बन्दी आदेश-जल/2021

पंजीकृत

दिनांक 10/1/22

श्री आशाराम,
सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार,
गाजियाबाद

यह कि श्री आशाराम, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि गाय/भैंस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि इकाई को बोर्ड द्वारा पत्र दिनांक-09.11.2020 द्वारा पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अनुक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का नवीनतम निरीक्षण दिनांक-30.11.2021 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग काईटेरिया उचित नहीं पायी गयी जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् संस्तुति तथा मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में मैसर्स श्री आशाराम, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कुल रूपया-1,65,000 (रूपया एक लाख पैसठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड-UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन मैसर्स श्री आशाराम, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

1. यह कि मैसर्स श्री आशाराम, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मैसर्स श्री आशाराम, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टीसी-12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पंजीकृत

पत्रांक 4703/2 /सी-1/सा0-610/बन्दी आदेश-जल/2021

दिनांक 10/1/22

श्री दीपक चौधरी,
सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार,
गाजियाबाद

यह कि श्री दीपक चौधरी, सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि गाय/भैंस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि इकाई को बोर्ड द्वारा पत्र दिनांक-09.11.2020 द्वारा पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अनुक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का नवीनतम निरीक्षण दिनांक-30.11.2021 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग काईटेरिया उचित नहीं पायी गयी जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् संस्तुति तथा मा० एन०जी०टी० के आदेशों के अनुपालन में मैसर्स श्री दीपक चौधरी, सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कुल रूपया-1,65,000 (रूपया एक लाख पैसठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड-UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन मैसर्स श्री दीपक चौधरी, सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

1. यह कि श्री दीपक चौधरी, सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे श्री दीपक चौधरी, सेक्टर-3, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

(विवेक राय)
मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टीसी-12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पंजीकृत

पत्रोंक 470313

/सी-1/सा0-18/बन्दी आदेश-जल/2021

दिनोंक 10/1/22

श्री प्रेमवीर सिंह,
बी-3, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार,
गाजियाबाद

यह कि श्री प्रेमवीर सिंह, बी-3, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि गाय/भैंस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि इकाई को बोर्ड द्वारा पत्र दिनोंक-09.11.2020 द्वारा पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन किये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अनुक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का नवीनतम निरीक्षण दिनोंक-30.11.2021 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनोंक-10.07.2020 के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग कार्टेरिया उचित नहीं पायी गयी जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

Abk

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् संस्तुति तथा मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में मैसर्स श्री प्रेमवीर सिंह, बी-3, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कुल रूपया-1,65,000 (रूपया एक लाख पैसठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ् इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड-UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन मैसर्स श्री प्रेमवीर सिंह, बी-3, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

1. यह कि मैसर्स श्री प्रेमवीर सिंह, बी-3, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मैसर्स श्री प्रेमवीर सिंह, बी-3, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधा सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

(विवेक राय)
मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टीसी-12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक *H 703/4*

/सी-1/सा0-619/बन्दी आदेश-जल/2021

पंजीकृत

दिनांक *10-1-22*

श्री सुन्दर यादव,
प्लॉट नम्बर-सी-4, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार,
गाजियाबाद

यह कि श्री सुन्दर यादव, प्लॉट नम्बर-सी-4, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि गाय/भैंस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि इकाई को बोर्ड के पत्र दिनांक-09.11.2020 द्वारा पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अनुक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का नवीनतम निरीक्षण दिनांक-30.11.2021 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था नहीं पायी गयी तथा साईटिंग क्राईटेरिया उचित नहीं पायी गयी जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् संस्तुति तथा मा० एन०जी०टी० के आदेशों के अनुपालन में श्री सुन्दर यादव, प्लॉट नम्बर-सी-4, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कुल रूपया-1,65,000 (रूपया एक लाख पैंसठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड-UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई श्री सुन्दर यादव, प्लॉट नम्बर-सी-4, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

1. यह कि मैसर्स श्री सुन्दर यादव, प्लॉट नम्बर-सी-4, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी फार्म की प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मैसर्स श्री सुन्दर यादव, प्लॉट नम्बर-सी-4, सेक्टर-2, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टीरी-12वी, विभूति खण्ड

गोमती नगर, लखनऊ

34

पत्रांक H 70895 / सी-1/सा०-817/बन्दी आदेश-जल/2021

दिनांक- 27/01/2022

श्री अरविन्द पुत्र श्री योगेन्द्र,
230, सेक्टर-10, चिरजीव बिहार,
गाजियाबाद

यह कि श्री अरविन्द पुत्र श्री योगेन्द्र, 230, सेक्टर-10, चिरजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि गाय/बैस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि डेयरी फार्म को बोर्ड के पत्र दिनांक-10.01.2022 द्वारा पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अनुक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा डेयरी फार्म का नवीनतम निरीक्षण दिनांक-25.01.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि डेयरी फार्म द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 में वर्णित बिन्दुओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बन्दी आदेश निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आरख्या एवम् संस्तुति तथा भा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में श्री अरविन्द पुत्र श्री योगेन्द्र, 230, सेक्टर-10, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कुल रूपया-2,85,000 (रुपया दो लाख पचासी हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड-UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री अरविन्द पुत्र श्री योगेन्द्र, 230, सेक्टर-10, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

1. यह कि श्री अरविन्द पुत्र श्री योगेन्द्र, 230, सेक्टर-10, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी फार्म की प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे श्री अरविन्द पुत्र श्री योगेन्द्र, 230, सेक्टर-10, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य सगरत सुविधाओं को जिरामें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

VIVEK ROY Digitally signed by VIVEK ROY Date: 2022.01.27 19:57:29 +05'30'

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आरख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

VIVEK ROY Digitally signed by VIVEK ROY Date: 2022.01.27 19:57:57 +05'30'

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टीसी-12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक H 70896/सी-1/सा०-818/बन्दी आदेश-जल/2021

प्राधिकृत
दिनांक- 27/01/2022

श्री दयाराम पुत्र कलूटी,
अवन्तीका चौकी के पीछे,
गाजियाबाद

यह कि श्री दयाराम पुत्र कलूटी, अवन्तीका चौकी के पीछे, गाजियाबाद जो कि गारा/मैरा पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि डेयरी फार्म को बोर्ड के पत्र दिनांक-10.01.2022 द्वारा पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अनुक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा डेयरी फार्म का नवीनतम निरीक्षण दिनांक-25.01.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि डेयरी फार्म द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 में वर्णित बिन्दुओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बन्दी आदेश निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अति क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् संस्तुति तथा मा0 एन0पी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में श्री दयाराम पुत्र कलूटी, अवन्तीका चौकी के पीछे, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कुल रूपया-2,85,000 (रूपया दो लाख पचासी हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड-UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री दयाराम पुत्र कलूटी, अवन्तीका चौकी के पीछे, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

1. यह कि श्री दयाराम पुत्र कलूटी, अवन्तीका चौकी के पीछे, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी फार्म की प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे श्री दयाराम पुत्र कलूटी, अवन्तीका चौकी के पीछे, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

VIVEK Digitally signed
by VIVEK ROY
Date:
2022.01.27
19:58:43 +05'30'
ROY
(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 पावर कॉर्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

VIVEK Digitally signed
by VIVEK ROY
Date:
2022.01.27
19:59:00 +05'30'
ROY

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टीसी-12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक H 70897/सी-1/सा0-821/बन्दी आदेश-जल/2021

पञ्जीकृत
दिनांक- 27/01/2022

श्री हंसराज पुत्र श्री गीरीराज,
ए-1/127, चिरंजीव विहार,
गाजियाबाद

यह कि श्री हंसराज पुत्र श्री गीरीराज, ए-1/127, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद जो कि गाय/भैंस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि डेयरी फार्म को बोर्ड के पत्र दिनांक-10.01.2022 द्वारा पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अनुक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा डेयरी फार्म का नवीनतम निरीक्षण दिनांक-25.01.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि डेयरी फार्म द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 में वर्णित बिन्दुओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बन्दी आदेश निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः प्रांतीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् सम्बन्धि तथा मा० एन०जी०टी० के अन्तर्गत के अनुपालन में श्री हंसराज पुत्र श्री गीरीराज, ए-1/127, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कुल रूपया-2,85,000 (रूपया दो लाख पचासी हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिराजित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड-UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री हंसराज पुत्र श्री गीरीराज, ए-1/127, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

1. यह कि श्री हंसराज पुत्र श्री गीरीराज, ए-1/127, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी फार्म की प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे श्री हंसराज पुत्र श्री गीरीराज, ए-1/127, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिरामें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

VIVEK Digitally signed
by VIVEK ROY
Date: 2022.01.27
19:59:32 +05'30'

ROY

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० पावर कॉर्पोरेशन लि०, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

VIVEK Digitally signed
by VIVEK ROY
Date:
2022.01.27
19:59:54 +05'30'

ROY

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टीसी-12वी, विगूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक H 70898 /सी-1/सा०-8 20/बन्दी आदेश-जल/2021

पंजीकृत
दिनांक- 27/01/2022

श्री हरि किशन पुत्र श्री बाल किशन,
सेक्टर-10/21, चिरंजीव बिहार,
गाजियाबाद

यह कि श्री हरि किशन पुत्र श्री बाल किशन, सेक्टर-10/21, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि गाय/भैंस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि डेयरी फार्म को बोर्ड के पत्र दिनांक-10.01.2022 द्वारा पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अनुक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा डेयरी फार्म का नवीनतम निरीक्षण दिनांक-25.01.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि डेयरी फार्म द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 में वर्णित बिन्दुओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बन्दी आदेश निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निवेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् संस्तुति तथा मा10 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में श्री हरि किशन पुत्र श्री बाल किशन, सेक्टर-10/21, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कुल रूपया-2,85,000 (रूपया दो लाख पचासी हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड-UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री हरि किशन पुत्र श्री बाल किशन, सेक्टर-10/21, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित वन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

1. यह कि श्री हरि किशन पुत्र श्री बाल किशन, सेक्टर-10/21, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी फार्म की प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे श्री हरि किशन पुत्र श्री बाल किशन, सेक्टर-10/21, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

VIVEK Digitally signed
by VIVEK ROY
Date: 2022.01.27
20:00:30 +05'30'

ROY
(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 पावर कॉर्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

VIVEK Digitally signed
by VIVEK ROY
Date:
2022.01.27
20:00:44 +05'30'

ROY

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टीसी-12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक H 70899/सी-1/सा०-819 /बन्दी आदेश-जल/2021

पंजीकृत
दिनांक- 27/01/2022

श्री जय प्रकाश पुत्र श्री चमन सिंह,
ए-1/126, चिरंजीव बिहार,
गाजियाबाद

यह कि श्री जय प्रकाश पुत्र श्री चमन सिंह, ए-1/126, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि गाय/भैंस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत हैं, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि डेयरी फार्म को बोर्ड के पत्र दिनांक-10.01.2022 द्वारा पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अनुक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा डेयरी फार्म का नवीनतम निरीक्षण दिनांक-25.01.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि डेयरी फार्म द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 में वर्णित बिन्दुओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बन्दी आदेश निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् संस्तुति तथा मा० एन०जी०टी० के आदेशों के अनुपालन में श्री जय प्रकाश पुत्र श्री चमन सिंह, ए-1/126, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कुल रूपया-2,85,000 (रूपया दो लाख पचासी हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनिवर्सल बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, रोगती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड-UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री जय प्रकाश पुत्र श्री चमन सिंह, ए-1/126, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

1. यह कि श्री जय प्रकाश पुत्र श्री चमन सिंह, ए-1/126, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी फार्म की प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे श्री जय प्रकाश पुत्र श्री चमन सिंह, ए-1/126, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

VIVEK Digitally signed
by VIVEK ROY
Date:
2022.01.27
20:01:16 +05'30'
ROY
(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

VIVEK Digitally signed
by VIVEK ROY
Date:
2022.01.27
20:01:33 +05'30'
ROY
मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टीसी-12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक H 70900/सी-1/सा0-822/बन्दी आदेश-जल/2021

मंजीकृत
दिनांक- 27/01/2022

श्री विनोद पुत्र श्री ब्रह्मपाल,
सेक्टर-9, निरंजीव विहार,
गाजियाबाद

यह कि श्री विनोद पुत्र श्री ब्रह्मपाल, सेक्टर-9, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद जो कि गाय/भैंस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि डेयरी फार्म को बोर्ड के पत्र दिनांक-10.01.2022 द्वारा पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अनुक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा डेयरी फार्म का नवीनतम निरीक्षण दिनांक-25.01.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि डेयरी फार्म द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 में वर्णित बिन्दुओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बन्दी आदेश निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोक जाये।

अंत क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् सस्नुति तथा गा0 एम0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में श्री विनोद पुत्र श्री ब्रह्मपाल, सेक्टर-9, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कुल रूपया-2,85,000 (रूपया दो लाख पचासी हजार मात्र) को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आईएफसी कोड-UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री विनोद पुत्र श्री ब्रह्मपाल, सेक्टर-9, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

1. यह कि श्री विनोद पुत्र श्री ब्रह्मपाल, सेक्टर-9, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी फार्म की प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे श्री विनोद पुत्र श्री ब्रह्मपाल, सेक्टर-9, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

VIVEK Digitally signed
by VIVEK ROY
Date: 2022.01.27
20:02:04 +05'30'

ROY

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 पावर कॉर्पोरेशन लि0, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

VIVEK Digitally signed
by VIVEK ROY
Date: 2022.01.27
20:02:21 +05'30'

ROY

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टीसी-12वी, विभूति खण्ड,

गोमती नगर, लखनऊ

46

पत्रांक 08/सीईसी-कैम्प/सी-1/सा०-862/बन्दी आदेश-जल/2022

पंजीकृत
दिनांक-26/01/2022

श्री सोमपाल पुत्र श्री रामप्रसाद,
174, सहकारी नगर चिरंजीव बिहार,
गाजियाबाद

यह कि श्री सोमपाल पुत्र श्री रामप्रसाद, 174, सहकारी नगर चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि गाय/भैंस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि डेयरी फार्म को बोर्ड के पत्र दिनांक-26.01.2022 द्वारा जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, नगर निगम, विद्युत विभाग बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा डेयरी फार्म का निरीक्षण दिनांक-26.01.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि डेयरी फार्म द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 में वर्णित बिन्दुओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 32(1)(सी) के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 32(1)(सी) के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री सोमपाल पुत्र श्री रामप्रसाद, 174, सहकारी नगर चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

- 1 यह कि श्री सोमपाल पुत्र श्री रामप्रसाद, 174, सहकारी नगर चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी फार्म की प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
- 2 यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे श्री सोमपाल पुत्र श्री रामप्रसाद, 174, सहकारी नगर चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 2 अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
- 3 अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
- 4 क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित जारना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टीसी-12वी, विभूति खण्ड,

गोमती नगर, लखनऊ

47

पत्रांक 07/सीईओ-केम्प/सी-1/सा०-860/बन्दी आदेश-जल/2022

पंजीकृत
दिनांक- 26/01/2022

श्री नीरज पुत्र श्री गिरिराज,
158, चिरंजीव विहार,
गाजियाबाद

यह कि श्री नीरज पुत्र श्री गिरिराज, 158, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद जो कि गाय/भैस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि डेयरी फार्म को बोर्ड के पत्र दिनांक-26.01.2022 द्वारा जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, नगर निगम, विद्युत विभाग बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा डेयरी फार्म का निरीक्षण दिनांक-26.01.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि डेयरी फार्म द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 में वर्णित विन्दुओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 32(1)(सी) के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 32(1)(सी) के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री नीरज पुत्र श्री गिरिराज, 1587, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

- 1 यह कि श्री नीरज पुत्र श्री गिरिराज, 158, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी फार्म की प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
- 2 यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे श्री नीरज पुत्र श्री गिरिराज, 158, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 2 अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
- 3 अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
- 4 क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टीरी-12वी, विभूति खण्ड,

गोमती नगर, लखनऊ

पत्रोंक 06/सई330-वेग/सी-1/सा10-859/बन्दी आदेश-जल/2022

पंजीकृत
दिनोंक-26/01/2022

श्रीमती सुधा पत्नी श्री रंजीत,
157, चिरंजीव बिहार,
गाजियाबाद

यह कि श्रीमती सुधा पत्नी श्री रंजीत, 157, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि गाय/भैस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि डेयरी फार्म को बोर्ड के पत्र दिनोंक-26.01.2022 द्वारा जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, नगर निगम, विद्युत विभाग बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा डेयरी फार्म का निरीक्षण दिनोंक-26.01.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि डेयरी फार्म द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनोंक-10.07.2020 में वर्णित बिन्दुओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 32(1)(सी) के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 32(1)(सी) के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्रीमती सुधा पत्नी श्री रंजीत, 157, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

9. यह कि श्रीमती सुधा पत्नी श्री रंजीत, 157, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी फार्म की प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दें।
10. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे श्रीमती सुधा पत्नी श्री रंजीत, 157, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 2 अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
- 3 अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
- 4 क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टीसी-12वी, विभूति खण्ड,

गोमती नगर, लखनऊ

49

पत्रांक 05/सीईओ-नैप्य / सी-1 / सा०-863 / बन्दी आदेश-जल / 2022

पंजीकृत
दिनांक- 26/01/2022

श्री ओमवीर पुत्र श्री मुंशी,
89, सहकारी नगर चिरंजीव बिहार,
गाजियाबाद

यह कि श्री ओमवीर पुत्र श्री मुंशी 89, सहकारी नगर चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि गाय/भैंस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि डेयरी फार्म को बोर्ड के पत्र दिनांक-26.01.2022 द्वारा जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, नगर निगम, विद्युत विभाग बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा डेयरी फार्म का निरीक्षण दिनांक-26.01.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि डेयरी फार्म द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 में वर्णित बिन्दुओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 32(1)(सी) के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 32(1)(सी) के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री ओमवीर पुत्र श्री मुंशी 89, सहकारी नगर चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

1. यह कि श्री ओमवीर पुत्र श्री मुंशी 89, सहकारी नगर चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी फार्म की प्रकिया के संचालन को बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे श्री ओमवीर पुत्र श्री मुंशी 89, सहकारी नगर चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशारी अभियन्ता उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशारी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सफ़ाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड, मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टीसी-12वी, विभूति खण्ड,

गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक 04/राइडीओ-कैम्प/सी-1/सा०-861/बन्दी आदेश-जल/2022

पंजीकृत
दिनांक-26/01/2022

श्री छत्रपाल पुत्र श्री मनफूल,
171, चिरंजीव बिहार,
गाजियाबाद

यह कि श्री छत्रपाल पुत्र श्री मनफूल, 171, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद जो कि गाय/बैस पालन का कार्य करते हुए दूध के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित रथल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि डेयरी फार्म को बोर्ड के पत्र दिनांक-26.01.2022 द्वारा जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, नगर निगम, विद्युत विभाग बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा डेयरी फार्म का निरीक्षण दिनांक-26.01.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि डेयरी फार्म द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक-10.07.2020 में वर्णित बिन्दुओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 32(1)(सी) के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 32(1)(सी) के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री छत्रपाल पुत्र श्री मनफूल, 171, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है :-

- 1 यह कि श्री छत्रपाल पुत्र श्री मनफूल, 171, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद में स्थापित डेयरी फार्म की प्रकिया के संचालन को बन्द कर दें।
- 2 यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे श्री छत्रपाल पुत्र श्री मनफूल, 171, चिरंजीव बिहार, गाजियाबाद की डेयरी फार्म को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इकाई को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 2 अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि इकाई की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
- 3 अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
- 4 क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



संदर्भ संख्या : 19509/सा0पत्रा0-270/2022

दिनांक 27/07/2022

मा0 एनजीटी प्रकरण/महत्वपूर्ण

सेवा में,

1. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, गाजियाबाद।
2. सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
3. उपायुक्त, उ0प्र0 आवास विकास एवं परिषद, वसुन्धरा, गाजियाबाद।
4. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, मोदीनगर/मुरादनगर/लोनी/खोड़ा मकनपुर पतला/निवाड़ी/डासना/फरीदनगर, गाजियाबाद।

विषय: क्षेत्र मे स्थित समस्त डेयरी फार्म एवं गौशालाओं द्वारा जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21/22 के अन्तर्गत सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 798/एनजीटी-95/ओए नं-989/19/2020 दिनांक 27.08.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। उक्त पत्र के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा डेयरी फार्म एवं गौशालाओं द्वारा जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21/22 के अन्तर्गत सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किये गये थे, छायाप्रति संलग्न है। अग्रेतर अवगत हो कि डेयरी फार्म एवं गौशालाओं द्वारा जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21/22 के अन्तर्गत सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा डेयरी फार्म/गौशालाओं का संचालन करने वाले व्यक्तियों पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टि से आवश्यक सूचना/निर्देश दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रकाशित कर जन सामान्य को अवगत कराया जा चुका है।

अग्रेतर अवगत हो कि उक्त प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 989/2019 ई0ए0 नं-24/2021 वेद प्रकाश अग्रवाल बनाम नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद विचाराधीन है। उक्त प्रकरण मे वाद की सुनवाई की अग्रिम तिथि दिनांक 01.02.2022 नियत है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित आवासीय क्षेत्रों/कर्मिणियल क्षेत्रों मे स्थित डेयरियों की सूचना प्रेषित किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करे।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद।
2. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108

मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

क्र0 स0	डेरी संचालक का नाम	पिता/पति का नाम	पता	कियाशील/अकियाशी ल
1	श्री हरिकिशन	श्री बालकिशन	चिरंजीव विहार, सहकारी नगर	कियाशील
2	श्री अरविन्द	श्री योगेश	सै0-9 चिरंजीव विहार	कियाशील
3	श्री विनोद	श्री बहमपाल	सै0-9 चिरंजीव विहार	कियाशील
4	श्री दयाराम	श्री कलूटी	पुलिस चौकी के पीछे अवन्तिका	कियाशील
5	श्री छत्रपाल	श्री मनफूल	सहकारी नगर चिरंजीव विहार	कियाशील
6	श्री सोमपाल	श्री रामप्रसाद	सहकारी नगर	कियाशील
7	श्री ओमबीर	श्री मुन्शी	सहकारी नगर	कियाशील
8	श्री नरेश	श्री लखपत सिंह	डी डी 249 ई अवन्तिका-।	कियाशील
9	श्रीमती विनेश चौधरी	श्री महेश चौधरी	बी0ई0 249	कियाशील
10	श्री पप्पू	श्री भगवन्त सिंह	डी डी 249 ई अवन्तिका-।	कियाशील
11	श्री विपिन कुमार	श्री भगवन्त सिंह	डी डी 249 ई अवन्तिका-।	कियाशील
12	श्री ज्ञानवीर	श्री तेजपाल	455 सै0 2 चिरंजीव विहार	बन्द है।
13	श्री जयपाल	श्री जगवीर	445 सै0 2 चिरंजीव विहार	बन्द है।
14	श्री दिनेश कुमार		447 सै02 चिरंजीव विहार	बन्द है।
15	श्री आशाराम		सै0 2 चिरंजीव विहार	कियाशील
16	श्री दीपक चौधरी		सै0 2 चिरंजीव विहार	कियाशील
17	श्री जितेन्द्र नागर		392 सै0 2 चिरंजीव विहार	कियाशील
18	श्री प्रेमवीर सिंह		बी 3 सै0 2 चिरंजीव विहार	कियाशील
19	श्री रविन्द्र	श्री जगन सिंह	सै0 3 चिरंजीव विहार	कियाशील
20	श्री ब्रहम सिंह		बी-5 सै0 2 चिरंजीव विहार	कियाशील

महेन्द्र
सफाई नायक

सफाई एवं खाद्य निरीक्षक
कविनगर जोन

जोनल सेनेटरी ऑफिसर
सिस हिण्डन क्षेत्र

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (ज़िला): SOUTH P.S.(थाना): SANGAM VIHAR Year(वर्ष): 2022 FIR No(प्र.सू.रि.सं.):0020 Date :04/01/2022

2. Act(s)(अधिनियम): Section(s)(धारा(एँ)):
- IPC 1860 498A/406/34

3. Occurrence of Offence (अपराध की घटना):

(a) Day(दिन): Date From(दिनांक से): Date To(दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):
(b) Information received at P.S.(थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date(दिनांक): 04/01/2022 Time (समय): 19:55 hrs
(c) General Diary Reference (रोजानामचा संदर्भ): Entry No.(प्रविष्टि सं.): 105A Date/Time(दिनांक/समय):04/01/2022 20:01

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

(a) Direction and Distance from P.S (थाना से दूरी और दिशा): , Beat No(बीट सं.): 0
(b) Address(पता):
(c) In case, Outside the limit of the Police Station (यदि थाना सीमा के बाहर हैं):
Name of P.S(थाना का नाम): District(ज़िला):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): RANI YADAV (D/O) LATE BABU RAM YADAV
(b) Date/Year of Birth (जन्म तिथि /वर्ष): 1984 Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA
(c) Passport No.(पासपोर्ट सं.): Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(d) Occupation (व्यवसाय): GOVT. OFFICIAL NON-GAZETTED
(e) Address(पता): F-2/185 RATIYA MARG, SANGAM VIHAR, SOUTH, DELHI, INDIA,

7. Details of Known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary)(जात/ संदिग्ध /अजात अभियुक्त का का पुरे विवरण सहित वर्णन):

8. Reason for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):
NO DELAY

9. Particulars of the properties stolen/involved (attach separate sheet if necessary):

Sl.No. (क्र.सं.)	Property Type(Description)	Est. Value(Rs.)(मूल्य (रु में))
------------------	----------------------------	---------------------------------

10. Total value of property stolen (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य):

11. Inquest Report / U.D. Case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण नं., यदि कोई हो):

12.F.I.R. Contents (attach separate sheet, if required)(प्रथम सूचना रिपोर्ट तथ्य):

सेवा में सी ए डब्लू सैल दक्षिणी जिला / नई दिल्ली दिनांक-20/01/2021 विषय: शिकायत विरुद्ध शिव प्रकाश यादव पति नन्द नंदोई इन्दू यादव व सवेन्द्र यादव और प्रार्थिनी के भाई दिनेश यादव, मदनेश यादव और जीजा नन्द लाल यादव और दो बिचौलिये सुनील यादव और राम चन्द्र विश्वकर्मा द्वारा धोखा देना दहेज की मांग करना व जान से मारने की धमकी देना के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने हेतु महोदय, मैं रानी यादव सुपुत्री स्वर्गीय बाबू राम यादव निवासी एफ-2/185 संगम विहार, रतिया मार्ग नई दिल्ली - 110080 | मैं इस समय सी आर पी एफ में हैड कान्स्टेबल पद पर कार्यरत हूँ। मेरा रिपोर्टिंग आफिस डी ए पी तृतीय बटालियन पुलिस लाइन विकास पुरी दिल्ली मे है। अभियुक्त के नाम सुनील यादव गाँव सुभाषपुर मझारी पाली मढियाहू जौनपुर यू पी राम चन्द्र विश्वकर्मा ताजुद्दीन पुर मढियाहू जौनपुर उत्तर प्रदेश | इन्होंने मेरे छोटे भाई मदनेश यादव और जीजा नन्दलाल यादव डी-310 शान्तिपुरम फाफामऊ इलाहाबाद से सम्पर्क किया शादी की बात लेकर शिव प्रकाश यादव सुपुत्र दयाशंकर यादव गाम कुवरपुर पोस्ट तुरना थाना नन्दगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से शादी की बात शुरू की। इसके बाद सभी ने प्रार्थिनी के बड़े भाई दिनेश यादव ग्राम सिकन्दरपुर पोस्ट रमदयाल गंज जौनपुर उत्तर प्रदेश शादी की बात की। 10 फरवरी 2020 को बातचीत शुरू हुई, प्रार्थिनी के दोनो भाई और शिव प्रकाश यादव सपुत्र दया शंकर यादव से इसके बाद शिव प्रकाश यादव की बहन इन्दू यादव उसका पति सवेन्द्र यादव गाँव डुरिया डोरा सादात गाजीपुर उत्तर प्रदेश बातचीत के लिए आगे आये। और प्रार्थिनी की तरफ से सीमा यादव पति नन्द लाल यादव और दोनो भाई शामिल थे। उसके बाद सुनील यादव और रामचन्द्र विश्वकर्मा उपरोक्त सभी से शादी को मुकाम तक पहुंचाने के लिए एक दूसरे के सम्पर्क में रहते थे। अभियुक्त शिव प्रकाश यादव की बहन इन्दू यादव और पति सवेन्द्र यादव ने बताया कि मेरा भाई अच्छी फैमिली से सम्बन्ध रखता है उसके बाद पेट्रोल पम्प और ओला उबर में गाँडिया चलती है और शिव प्रकाश यादव ऐ डी ओ ब्लाक रामपुर मढियाहू जौनपुर उत्तर प्रदेश में कार्यरत है उसकी सैलरी 75000/- है इसके बाद प्रार्थिनी के जीजा नन्द लाल यादव ओर भाई मदनेश यादव दिल्ली आये और प्रार्थिनी को शादी के बारे में बताया तो प्रार्थिनी ने पूछा सारी जाच पड़ताल कर ली है तो सभी ने कहा सब कुछ ठीक है यह बात मानकर प्रार्थिनी ने शादी के लिए हाँ कर दी। इसके बाद प्रार्थिनी और अभियुक्त शिव प्रकाश यादव में बातचीत शुरू हुयी और कुछ दिन बाद शिव प्रसाद प्रार्थिनी से मिलने दिल्ली आया। प्रार्थिनी ने भी शिव प्रकाश यादव से पूछा कि आप क्या काम करते है उसने बताया कि मैं ऐ डी ओ ब्लाक रागपुर मढियाहू जौनपुर उत्तर प्रदेश में कार्यरत है और मेरी सैलरी 75000/- है फिर प्रार्थिनी ने शिव प्रकाश यादव से एपाइंटमेंट लेटर मांगा तो उसने कहा कि मेरे सारे डाकूमेंटस आफिस में जमा है इस पर विश्वास करके प्रार्थिनी ने शादी के लिए हाँ कर दी। उसके बाद शादी की डेट 28-6-2020 को तय की गयी। शादी बड़े धूमधाम से प्रार्थिनी की तरफ से 20 लाख रुपये खर्च करके सम्पन्न हुयी और शिव प्रकाश यादव को स्त्रीधन और 22 तोला गोल्ड दिया गया। 29-06-2020 को सुबह विदाई के समय शिव प्रकाश यादव का जीजा सवेन्द्र यादव ने बताया कि शिव प्रकाश कोई काम नहीं करता है और शराब पीता है चोरी वगैरह करता है उसके बाद प्रार्थिनी ने शिव प्रकाश यादव से पूछा यह सब क्या कह रहे है तो शिव प्रकाश ने कहा जीजा मजाक के मूड में है उसके बाद प्रार्थिनी ने यह बात अपने बड़े भाई से बताया तो उसने कहा फिलहाल अभी तुम सुसराल जाओ मैं सब कुछ जाँच पड़ताल कर लूँगा। इसके बाद प्रार्थिनी ससुराल पहुँचकर उसी दिन शिव प्रकाश से पूछा कि आप मुझे नौकरी का डाकूमेंटस दो तो दोबारा शिव प्रकाश ने कहा कि डाकूमेंटस आफिस में जमा है मिलेगें तो दिखा देंगे। फिर प्रार्थिनी ने शिव प्रकाश से कहा जब तब नौकरी के कागजात नहीं दिखाओगे तब तक हमारे आपके बीच में कोई पति पत्नी जैसा सम्बन्ध नहीं रहेगा। और शादी को नहीं मानूँगी। अभियुक्त शिव प्रकाश यादव अपना नौकरी का डाकूमेंट दिखाने में असफल रहा और प्रार्थिनी से पैसे की मांग करना। 7 जुलाई 2020 को प्रार्थिनी के बड़े भाई दिनेश यादव प्रार्थिनी के ससुराल आये प्रार्थिनी ने सारी बात बताया इस पर दिनेश यादव ने कहा कि अब शादी हो गयी है तुम्हें यही पर रहना होगा। उसके बाद प्रार्थिनी के बड़े भाई वहा से चले गये तो प्रार्थिनी के ससुर और पति शिव प्रकाश यादव धमकाने लगा कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो जान से मार देंगे और अब तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। 13-7-2020 को प्रार्थिनी जैसे तैसे अपने मायके आयी पर शिव प्रकाश यादव ने उसे 22 तोला गोल्ड वापिस लाने नहीं दिया। मायके पहुँचने के बाद प्रार्थिनी ने सारी बात माँ, बहन और भाइयों से बताई और प्रार्थिनी का बड़ा भाई धमकाने लगा तुम्हारी शादी शिव प्रकाश यादव से हुयी है तुम्हें वहीं रहना पडेगा। ये सब सुनने के बाद प्रार्थिनी -07-2020 को दिल्ली आयी अपनी ड्यूटी जायन कर ली। इस बीच अभियुक्त की बहन इन्दू यादव ने फोन करके 15 लाख रुपये और दहेज की डिमान्ड कर दी इस पर प्रार्थिनी ने इन्दू यादव से कहा अभी मैं 20 लाख रुपये शादी में खर्च कर चुकी हूँ और 22 तोला गोल्ड स्त्रीधन अभी शिव प्रकाश यादव की निगरानी में ससुराल में ही है मैं अभी कुछ और नहीं दे सकती। इस पर इन्दू यादव दबाव डालती रहीं पैसे नहीं दोगे तो परिणाम बुरा होगा। प्रार्थिनी के पति ने फोन करके कहा कि तुम एक चरित्रहीन औरत हो। मेरा गुण्डों से सम्बन्ध है अगर मेरी बहन की डिमान्ड पूरा नहीं किया तो तुम्हें जान से मरवा दूँगा। प्रार्थिनी अभी दिल्ली में कार्यरत है। प्रार्थिनी पर उपरोक्त सभी दबाव डाल रहे है कि शादी को स्वीकार करो नहीं तो परिणाम बुरा हागा। उपरोक्त सभी अभियुक्त एक साथ मिलकर धोखा देने और शिवप्रसाद यादव से शादी करारकर प्रार्थिनी की जिन्दगी बर्बाद करने में कामयाब हो गये। प्रार्थिनी से फाइनेन्सल फायदा लेने में कामयाब हो गये। अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त अभियुक्तों पर कानूनी कार्यवाही की जाये जिन्हाने मुझे धोखा दिया, झूठी शादी करवाई और दहेज की मांग की और जान से मारने की धमकी दी है इसी आधार पर इन सभी के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की जाये

धारा 420, 406, 498ए, 506, 120बी, 34 और बाकी की जो धारारें इसके अन्तर्गत आती है वो लगायी जाये। प्रार्थनी आपकी आभारी होगी। 1. शिव प्रकाश यादव, मोबाइल न0 94154140391 Add- ग्राम कुँवरपुर, पो० आफिस तुरना थाना नन्दगंज जिला गाजीपुर UP, इन्द्र यादव मोबाइल – 8574633610 नन्द 3.. सवेन्द्र यादव मोबाइल: 9415650574 नन्दोई 4. राम चन्द्र विश्वकर्मा मोबाइल: 8601332167 गॉल सुभाशपुर बिचोलिया 5. नन्द लाल यादव मोबाइल: 9956181268 बिचोलिया 6. दिनेश यादव मोबाइल: 8853397323 भाई SD English प्रार्थनी रानी यादव (सी आर पी एफ) हैड कान्सटेबल सुपुत्री स्वर्गीय बाबू राम यादव निवासी एफ-2/185 संगम विहार, रतिया मार्ग नई दिल्ली - 110080 मोबाइल: 8707246451 To The Duty Officer PS Sangam vihar ND Register A case U/S 498A/406/34 IPC and Further Investigation Handed Over to Me. SD English ASI Sudhir No. 1182/SD, PS Sangam vihar. पुलिस कार्यवाही:- उपरोक्त लिखित शिकायत की प्राप्ति पर यह अभियोग U/S 498A/406/34 IPC COMPUTER में अंकित किया और शिकायत पत्र व FIR की COMPUTERIZED COPY अन्वेषण विवेचना हेतु ASI SUDHIR KUMAR साहब के हवाले की जा रही है जो CASR FIR में INVESTIGATION करेंगे। अन्य नकल प्रतियां डाक द्वारा वरिष्ठ अधिकारीगण की सेवा में प्रस्तुत की जायेगी BY HC/DO

13.Action Taken Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2:

(की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि किया गया अपराध मद् सं.2.में उल्लेख धारा के तहत है):

(i) Registered the case and took up the investigation:

OR (या)

(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

(ii) Directed (Name of the I.O.)(जांच अधिकारी का नाम): SUDHIR KUMAR

Rank (पद):

ASST. SI (ASSISTANT SUB-INSPECTOR)

No(सं.): 28880799

to take up the investigation (को जांच आपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) OR(या)

(iii) Refused investigation due to (जांच के लिए):

OR (के कारण इंकार किया या)

(iv) Transferred to P.S(name)(थाना):

District(ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित)

F.I.R read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost : (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी) :

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.):

14. Signature / Thumb Impression

of the Complainant / Informant:

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer

Name(नाम): PANCHU RAM

Rank (पद): HC (HEAD CONSTABLE)

No.(सं.): 28010854

15.Date and Time of despatch to the court:

(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):



1. Shri Indramohan Sharma, A-3, Sector 2, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-

During inspection, the dairy owner voluntarily closed the process and vacated the site. Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Photographs are as below.



2. **Shri Jitendra Nagar, 392, Sector 2, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-**

During inspection, the dairy owner voluntarily closed the process and vacated the site. Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Sealing of animal feed area has been done. Photographs are as below.



3. **Shri Ravindra S/o shri Jagan singh, Sector 3, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-**

During inspection, the dairy owner voluntarily closed the process and vacated the site. Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Sealing of animal feed area has been done. Photographs are as below.



4. Shri Harikishan S/o shri A-123, Sector 3, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-

During inspection, the dairy owner voluntarily closed the process and vacated the site. Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Sealing of animal feed area has been done. Photographs are as below.



5. **Shri Deepak Chaudhery, A-1/125, Sector 3, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-**

During inspection, the dairy owner voluntarily closed the process and vacated the site. Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Sealing of animal feed area has been done. Photographs are as below.



6. **Shri Kiranpal, A-1/128, Sector 3, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-**

During inspection, the dairy owner voluntarily closed the process and vacated the site. Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Sealing of animal feed area has been done. Photographs are as below.



7. **Shri Brahm Singh, B-5, Sector 2, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-**

During inspection, the dairy owner voluntarily closed the process and vacated the site. Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Photographs are as below.



8. **Shri Premveer, B-3, Sector 2, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-**

During inspection, the dairy owner voluntarily closed the process and vacated the site. Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Photographs are as below. Photographs are as below.



9. **Ran Singh, B-1, Sector 2, Chiranjiv Vihar, Ghaziabad**

Dairy farm was found closed during earlier inspection on 30.11.2021. Status quo found on site.

10. Shri Sundar Yadav, C-4, Sector 2, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-

During inspection, the dairy owner voluntarily closed the process and vacated the site. Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Sealing of animal feed area has been done. Photographs are as below.



11. Shri Dinesh Kumar, Plot no. 447, Sector 2, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-

During inspection, it was observed that dairy premise has been vacated by the dairy owner and it was not operational in compliance of Board's directions. Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Dairy premise could not be sealed as residence of dairy operator was also there. Photographs are as below.



12. Shri Gyanveer, Plot no. 445, Sector 2, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-

During inspection, it was observed that dairy premise has been vacated by the dairy owner and it was not operational in compliance of Board's directions. Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Dairy premise could not be sealed as residence of dairy operator was also there.



13. Shri Jaipal, Plot no. 445, Sector 2, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-

During inspection, it was observed that dairy premise has been vacated by the dairy owner and is not operational in compliance of Board's directions. Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Dairy premise could not be sealed as residence of dairy operator was also there. Photographs are as below.



14. Shri Asharam, Sector 2, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-

During inspection, the dairy owner voluntarily closed the process and vacated the site. Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Dairy premise could not be sealed as residence of dairy operator was also there. Photographs are as below.



15. **Shri Hansraj S/o shri Giriraj, A-127, Sector 3, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-**

During inspection, the dairy owner voluntarily closed the process and vacated the site. Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Sealing of animal feed area has been done. Photographs are as below.



16. **Shri Jaiprakash S/o Shri Chaman singh, A-1/126, Sector 3, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-**

During inspection, dairy was found operational. Total 07 buffaloes and 02 calf were confiscated by Municipal Corporation Ghaziabad. Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Dairy premise could not be sealed as residence of dairy owner was also there.



17. Shri Harikishan S/o Shri Balkishan, sector-10/21, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-

During inspection, the dairy owner voluntarily closed the process and vacated the site. Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Dairy premise could not be sealed as residence of dairy operator was also there.



18. Shri Arvind S/o Shri Yogendra, 230, sector-10, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-

During inspection, the dairy owner voluntarily closed the process and vacated the site. Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Sealing of animal feed area has been done. Photographs are as below.



19. Shri Vinod S/o Shri Brahmpal, Sector-09, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-

During inspection, the dairy owner voluntarily closed the process and vacated the site. Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Sealing of animal feed area has been done. Photographs are as below.



20. Shri Dayaram S/o Shri Kaluti, Behind Awantika police chowki, Ghaziabad-

During inspection, dairy was found operational. Total 07 buffaloes and 04 calf were confiscated by Municipal Corporation Ghaziabad. Submersible pump/ Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Dairy premise could not be sealed as residence of dairy operator was also there. Photographs are as below



21. Shri Neeraj S/o Shri Giriraj, 158, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-

During inspection, the dairy owner voluntarily closed the process and vacated the site. Dairy premise could not be sealed as residence of dairy operator was also there. Site Photograph is as below.



22. Smt. Sudha W/o Shri Ranjit, 157, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-

During inspection, the dairy owner voluntarily closed the process and vacated the site. Dairy premise could not be sealed as residence of dairy operator was also there. Photograph is as below.



23. Shri Chhatrapal S/o Shri Manphool, 171, Sehkari Nagar, Chiranjeev Vihar

Ghaziabad-

During inspection, the dairy owner voluntarily closed the process and vacated the site. Water supply and electric connection was disconnected by joint team.

Sealing of animal feed area has been done.

Photographs are as below.



24. Shri Sompal S/o Shri Ramprashad, 174, Sehkari Nagar, Chiranjeev Vihar

Ghaziabad-

During inspection, the dairy owner voluntarily closed the process and vacated the site. Water supply and electric connection was disconnected by joint team.

Sealing of animal feed area has been done. Photographs are as below.



25. Shri Omveer S/o Shri Munshi, 89, Sehkari Nagar, Chiranjeev Vihar Ghaziabad-

During inspection, dairy was found operational. Total 02 buffaloes were confiscated by Municipal Corporation Ghaziabad. Submersible pump/ Water supply and electric connection was disconnected by joint team. Dairy premise could not be sealed as residence of dairy operator was also there. Photographs are as below.



ADVANCE SERVICE TO PETITIONER- ACKNOWLEDGEMENT

From: VIBHAV MISHRA

Sent: 31 January 2022 14:20

To: Ved Aggarwal

Subject: Service: Compliance Report- EA 24/2021 on behalf of GNN

Dear Sir,

Please find attached the Compliance Report on behalf of GNN in the above captioned matter.

Regards,

Vibhav Mishra

Counsel for GNN

+91-9473565666, +91-9811828487

Sent from [Mail](#) for Windows